UPLK010094892026

Additional District and Sessions Judge Court No 4, Lucknow
पीठासीन अधिकारी– (Abhinay Kumar Mishra)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**
UP06239

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–4711/2026 (483 बी.एन.एस.एस.)

विवेक मिश्रा उर्फ निलेश मिश्रा, उम्र–25 वर्ष, पुत्र दिनेश मिश्रा, निवासी ग्राम दरियापुर पंडित का पुरवा, थाना हथगवां, जिला–प्रतापगढ़।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी

मु०अ०सं०–226/2026
अं०धारा– 310(2),61(2) BNS,
थाना–बी०के०टी०, लखनऊ।

दिनांक–05.08.2026

1. अभियुक्त विवेक मिश्रा उर्फ निलेश मिश्रा की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या– 226/2026, अंतर्गत धारा– 310(2), 61(2) BNS, थाना–बी०के०टी०, लखनऊ के मामले में जमानत हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से अंतरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त विवेक मिश्रा उर्फ निलेश मिश्रा के जमानत प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्नलिखित है–

   प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे रंजिशन उक्त आपराधिक मामले में फंसाया गया है। दिनांक 12.06.2026 को रमेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रार्थना–पत्र दिया गया कि बक्शी का तालाब व किशान पथ के बीच सतवन्त व उसके अज्ञात साथियों के द्वारा फायरिंग करते हुए पांच लाख रूपये छीनकर बिना नम्बर प्लेट के वाहन से फरार हो गये जो थाना बक्शी का तालाब में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 226/2026 अन्तर्गत धारा 309(4) बी0एन0एस0 दर्ज हुयी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व फर्द गिरफ्तारी में लूटी गयी सम्पत्ति में अन्तर होना व घटना की तिथि 11.06.2026 बताये जाने के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके निवास ग्राम दरियापुर पंडित का पुरवा, थाना हथगवां जिला प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को उनके निवास से गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट कार्य के उद्देश्य से सभी अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार दिखायी गयी है। कथित गिरफ्तारी को दिखाते समय पुलिस ने अभियुक्त के पास से ऐसी किसी वस्तु की बरामदगी होना नहीं बताया, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त को इस कथित अपराध में संलिप्त होना कहा जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.06.2026 से

जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के साथ अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र आय अर्जित करने वाला व्यक्ति है, उसके जेल में रहने के कारण उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा तथा आदेशों का पालन करेगा। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया है।

3. इसके विपरीत विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि लूटी गयी सम्पत्ति बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) व अभियोग में अन्य व्यक्तियों के शामिल होने के आधार पर 61(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी है।, जिसमें याची अभियुक्त भी अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. प्र०सू०रि० के अनुसार–थाना प्रभारी बी० के०टी० में इस आशय की तहरीर दी कि प्रार्थी राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० हुकुम चन्द्र अग्रवाल नि0–493/33 बहुरिया भवन पन्ना लाल रोड डालीगंज लखनऊ ने इस आशय की तहरीर दी कि अपने अन्य सहयोगी अभिषेक व रंजीता तथा रंजीता के साथ सतवन्त नामक व्यक्ति के साथ जीवन ज्योति हास्पिटल डालीगंज लखनऊ से रंजीता के द्वारा बुक की गई कार द्वारा सीतापुर रोड होते हुए बी० के०टी० की तरफ जा रहे थे तभी बख्शी तालाब बाजार के आगे एवं किसान पथ से पहले सतवन्त द्वारा बुलाए गए अज्ञात साथियों द्वारा हमारी गाड़ी को बिना नम्बर प्लेट सफेद रंग की गाड़ी द्वारा ओवर टेक कर रोक लिया गया जिसमें से उतरे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असलहे से फायरिंग करते हुए मेरे बैग में रखे हुए पाँच लाख (5,00,000 रु०) छीनकर उसी अज्ञात बिना नम्बर प्लेट वाहन से फरार हो गये । अतः निवेदन है कि प्रार्थी की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाई करने की कृपा करे।

5. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना व पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6. सुनने व जमानत प्रार्थना पत्र, थाने से प्राप्त कमेंट व केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि, प्रस्तुत मामला पैसों की लूट से संबंधित है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त सतवन्त एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। प्रकरण में दर्ज प्र०सू०रि० व वादी के धारा–161 सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत अंकित बयान के अनुसार, प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक अज्ञात नंबर प्लेट की गाड़ी से वादी मुकदमा की बुक की गयी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए वादी मुकदमा पर असलहों से फायरिंग करते हुए वादी मुकदमा के बैग में रखे पचास लाख रूपये लूट कारित किये जाने का आरोप है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा–309(4)बी०एन०एस० के स्थान पर धारा–310(2) बी०एन०एस० तरमीम किया गया है। संबंधित थाने की आख्यानुसार, सहअभियुक्त सौरभ पाण्डेय के पास से 4 लाख 15 हजार रूपये बरामद हुआ है। गवाह श्रीमती रंजीता भारती द्वारा धारा–161 सी०आर०पी०सी० के अंतर्गत अंकित बयान में कहा है कि घटना में शामिल सतवन्त सिंह आशू यादव से सम्पर्क कराया था जिसके बाद निलेश मिश्रा उर्फ विवेक मिश्रा कैश गिनने के लिए अपने आदमियों को भेजने वाला था। मुझे शत प्रतिशत विश्वास है कि सतवन्त के साथ उसके मित्र आशू, निलेश

मिश्रा व अन्य दोस्त घटना में शामिल है। प्रकरण अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है। मामला विवेचनाधीन है। सह अभियुक्तगण की जमानत खारिज हो चुकी है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का समुचित व पर्याप्त आधार नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विवेक मिश्रा उर्फ निलेश मिश्रा की ओर से मु०अ०सं०–226/2026, अंतर्गत धारा– 310(2), 61(2) BNS, थाना–बी०के०टी०, लखनऊ से संबंधित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र 4711/2026 को निरस्त किया जाता है।

(अभिनय कुमार मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–4/
विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट, लखनऊ